कार्यालय सहायक कलक्टर नगर (डीग)

फोन नं.–05641–243053 email id-sdm.nagar@gmail.com

क्रमांक / राजस्व / 24 / दिनांक :

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
डीग (राज0)

विषयः– एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15797 / 2023 विशम्भर दयाल व अन्य बनाम जगन्नाथ व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के क्रम में।

प्रसंगः– श्रीमान जी का पत्रांक / राजस्व / 2024 / राजकाज रेफरेन्स नं0 7134256 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक सदंर्भ मे निवेदन है कि एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15797 / 2023 विशम्भर दयाल व अन्य बनाम जगन्नाथ व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 की पालना के संबंध में प्रासंगिक पत्र के माध्यस से निम्न निर्देशों की पालना चाही गई है। अत सूचना निम्न प्रारूप मे श्रीमानजी की सेवा मे सादर प्रेषित हैं––

क्र.स.	निर्देश	पालना
1	10 वर्ष से अधिक पुराने लम्बित प्रकरणों को ''Oldest Cases" की श्रेणी में रखा जाकर त्वरित निस्तारण किया जावे।	पालना की जा चुकी है।
2	ऐसे Oldest Casesकी पत्रावलियां लाल फाइल कवर (Red File Cover)में संधारित की जावें।	पालना की जा चुकी है।
3	सभी अधीनस्थ न्यायालय के 5 वर्ष से पुराने प्रकरणों की आदेशिका पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं की हस्तलेखनी द्वारा लिखी जावे।	पालना की जा रही है।
4	राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों / अपीलों की समयावधि के आधार पर एक सूची अर्थात् 5 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक, 20 वर्ष से अधिक बनाई जाकर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह जिला कलक्टर को भिजवाई जावेगी। जिला	प्रकरणो को चिन्हित कर सूची तैयार की जा चुकी है। जिसमे 10 वर्ष से अधिक [illegible] प्रकरण तथा [illegible] वर्ष [illegible] अधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Designation : Sub Divisional Officer
Date: 2024.12.20 15:50:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12569090

	कलक्टर ऐसी सूची की समीक्षा कर लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण बाबत उचित निर्देश संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करेंगे व की गई कार्यवाही की रिपोर्ट संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली एरियर रिव्यू समिति व राजस्व विभाग को भिजवाई जावेगी।	के 70 प्रकरण विचाराधीन है।
5	सम्मन की तामील/लिखित कथन प्रस्तुत किये जाने एवं अभिकथनों में संशोधन हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में विहित समयावधि का कठोरता से पालन किया जावे।	पालना की जा चुकी है।
6	न्यायालयों वादों का निस्तारण वैकल्पिक वाद निस्तारण अन्तर्गत धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के माध्यम से करवाये जाने को प्रोत्साहित किया जावे।	पालना की जा रही है।
7	अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे। इसकी जिला कलक्टर के स्तर पर विशेष रूप से समीक्षा की जावे।	पालना की जा रही है।
8	मौखिक बहस तुरन्त एवं निरन्तर सुनी जाकर शीघ्र निर्णय पारित किया जावे।	पालना की जा रही है।
9	सप्ताह में 3 दिवस सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को सभी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नियमित रूप से मुकदमों की सुनवाई की जावेगी। जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त 3 दिवसीय अवधि के दौरान न्यायालय समय में ऐसे अधिकारियों की अन्य निरीक्षण/भ्रमण या प्रभारी के रूप में अन्य दायित्व अधिरोपित नहीं कर न्यायालय की कार्यवाही निर्बाध रूप से संचालित करावें।	समय निकाल कर पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमित प्रतिदिन सुनवाई की जा रही है।
10	अनेक प्रकरण विवादक विरचित किये जाने, बहस या निर्णय पारित किये जाने के स्तर पर लम्बित रहते हैं, जो कि पूर्णतः न्यायालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही है। ऐसे प्रकरणों में बिना कोई देरी या स्थगन दिये तत्काल कार्यवाही कर निस्तारित	पालना की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Designation : Sub Divisional Officer
Date: 2024.12.20 15:50:48 IST
Reason: Approved

	किया जावे।	
11	राज्य सरकार के हित के विपरित आदेश पारित किये जाने से पूर्व न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि राजकीय अधिवक्ता/सरकारी पैरोकार एवं प्रकरण के प्रभारी अधिकारी सुनवाई में उपस्थित होंवे एवं उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।	पालना की जा रही है।
12	अनावश्यक स्थगन आदेश जारी किये जाने से बचें एवं स्थगन के संबंध में सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 17 में विहित प्रावधानों की पालना की जावे। 10 वर्ष से पुराने प्रकरणों में स्थगन दुर्लभ से दुर्लभतम स्थिति में ही प्रदत्त किया जावे। जिसका न्यायालय आदेशिका में कारण उल्लेख किया जावे एवं ऐसे प्रकरणों में आगामी तिथि 1 सप्ताह के भीतर ही दी जावे।	पालना की जा रही है।
13	सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों की समीक्षा GCMSपोर्टल के माध्यम से राजस्व मण्डल एवं राजस्व विभाग द्वारा पाक्षिक/मासिक रूप से की जावेगी। इसलिए GCMSपोर्टल को अद्यतन रखा जावे।	पालना की जा रही है।
14	अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति अनिवार्य रूप से जिला कलक्टर/निबन्धक राजस्व मण्डल को प्रेषित की जावेगी। जिससे प्रकरण में राज्य हित में उचित कार्यवाही की जा सके।	पालना की जा रही है।
15	अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131 एवं 136 के प्रकरणों का पृथक–पृथक रजिस्टर तैयार कर मासिक रूप से तहसीलदार व पटवारियों के साथ समीक्षा की जावे।	पालना की जा रही है।
16	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के संबंध में तहसीलदार के द्वारा विभाजन	पालना की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Designation : Sub Divisional Officer
Date: 2024.12.20 15:50:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12569090

	प्रस्ताव (कुरेजात रिपोर्ट) पर संबंधित न्यायालय को भिजवाये जाने की सुनिश्चितता की जावे।	
17	राज्य सरकार के प्रति अनुतोष संबंधी प्रकरणों पर गुलाबी या विशेष रंग का फाइल कवर लगाया जावे	पालना की जा चुकी है।
18	पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुतीकरण के समय ही न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता, सुसंगत धारा, वाद/प्रार्थना पत्र का प्रकार सुनिश्चित करने के बाद ही प्रकरण दर्ज किया जावे।	पालना की जा रही है।
19	एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15797/2023 विशम्भर दयाल व अन्य बनाम जगन्नाथ व अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के पैरा 28 पर प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त निर्णय की प्रति आपको पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 101–106 दिनांक 12.02.2024 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है।	पालना की जा रही है।
20	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4296/2023 यशपाल जैन बनाम सुशीला देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2023 में जारी निर्देश संख्या 1 से 10 की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त निर्णय की प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया के पत्र क्रमांक प. 3(637)राज–7/2023 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा आपको भिजवाई जा चुकी है।	पालना की जा रही है।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Designation : Sub Divisional Officer
Date: 2024.12.20 15:50:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12569090